न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी : अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

अपील सं0 146/2017

1. धर्मसिंह मीना पुत्र श्री नवल किशोर मीना निवासी ग्राम पंचायत सांथा तहसील महुआ जिला दौसा (राज0)

..अपीलांट

बनाम

1. जिला रसद अधिकरी दौसा (राज0) ..रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी,
दौसा दिनांकः 27.5.2016

उपस्थितः 1.श्री दुर्गा प्रसाद सैनी अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः 28.01.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 27.5.2016 को अपीलांट का प्राधिकृत पत्र निरस्त कर दिया । इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। बहस उभय पक्ष की सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि अपीलांट ग्राम पंचायत सांथा तहसील महुआ जिला दौसा के उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है जिसका प्राधिकार पत्र सं0 197/1996 है एवं प्रार्थी बिना किसी शिकायत के ईमानदारी से वर्ष 1996 से ग्राम पंचायत सांथा के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण कार्य करता रहा है। राजनैतिक रंजिशवश कुछ उपभोक्ताओं द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध झूठी शिकायत दर्ज करवायी गयी जिस पर उपखण्ड अधिकारी महुआ द्वारा दिनांक 28.10.2015 को प्रार्थी की दुकान की जांच की गई एवं जांच उपरान्त जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.11.2015 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को 90 दिवस के लिये निलम्बित कर प्रार्थी को दिनांक 23.11.2015 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसका उचित एवं विस्तृत जवाब प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.11.2015 को प्रस्तुत कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रार्थी को समस्त वितरण और स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये जिसकी पालना में प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.12.2015 को स्टॉक व वितरण रजिस्टर जिला रसद अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर दिये गये एवं जांच उपरान्त स्टॉक व वितरण रजिस्टर में कोई अनियमितता नहीं पाई जाने के कारण जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.01.2016 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल कर दिया गया। प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने के कुछ ही दिनों पश्चात राजनैतिक रंजिशवश प्रवर्तन निरीक्षक महुआ द्वारा दिनांक 27.2.2016 को पुनः प्रार्थी की दुकान की जांच की एवं प्रार्थी से दिसम्बर 2015, जनवरी 2016 व फरवरी 2016 के राशन सम्बन्धी रिकार्ड 3 दिवस में जमा कराने बाबत निर्देशित किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक महुआ द्वारा दिनांक 01.3.2016 को जांच की जाकर जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी दौसा को प्रस्तुत की गई जिसमें प्रार्थी की दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर केरोसीन की मात्रा सही पाये जाने का उल्लेख किया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक महुआ द्वारा उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण 01.03.2016 को ही एक अन्य जांच रिपोर्ट तैयार की जिसमें तकनीकी अनियमितताओं के आधार पर जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत की। जिस पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.3.2016 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को पुनः निलम्बित कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा कार्यालय द्वारा समस्त स्टॉक व वितरण रजिस्टर मांगे जाने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.3.2016 को समस्त वितरण व स्टॉक रजिस्टर जमा करा दिये गये। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा एक ही दिन दिनांक 27.5.2016 को आदेश पारित किये जिसमें आदेश क्रमांक रसद/अभियोग/2016/1570 दिनांक 27.6.2016 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल कर दिया एवं अन्य आदेश कमांक अभियोग संख्या 181/2015 दिनांक 27.5.2016 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया। प्रार्थी द्वारा निरस्तीकरण आदेश दिनांक 27.5.2016 को माननीय उच्च न्यायालय में जरिये याचिका चुनौती दी गई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका की सुनवाई की जाकर अपने आदेश दिनांक 28.11.2017 द्वारा अपील करने की स्वतंत्रता के साथ उक्त याचिका को निस्तारित कर दिया गया। इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक महुआ द्वारा दिनांक 01.3.2016 को दो जांच रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें एक जांच रिपोर्ट में भौतिक सत्यापन करने पर केरोसीन की मात्रा सही पाये जाने के तथ्य अंकित किये गये एवं दूसरी जांच रिपोर्ट में तकनीकी अनियमितता बाबत आरोप अंकित किये गये। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा एक ही दिन में दो अलग–अलग आदेश पारित किये जिसमें एक आदेश में प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल किया जाना एवं दूसरे आदेश में प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जाना अपने आप में विरोधाभासी होने के कारण उक्त निरस्तीकरण आदेश दिनांक 27.5.2016 डिफेक्टिव एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त विवादित आदेश दिनांक 27.5.2016 में किसी प्रकार से रसद सामग्री का दुरूपयोग व कालाबाजारी का आरोप प्रमाणित नहीं है एवं केवल मात्र तकनीकी अनियमितताओं से संबंधित आरोप है। उक्त आदेश के बिन्दु सं0 5 में उल्लेखित है कि प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक वांछित रिकार्ड कार्यालय में जमा नहीं कराया है जबकि प्रार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 14.12.2015 को एवं पुनः दिनांक 28.3.2016 को वांछित रिकार्ड जिला रसद अधिकारी कार्यालय में जमा करा दिया गया जिसकी प्राप्ति रसीद भी जिला रसद अधिकारी कार्यालय दौसा द्वारा प्रार्थी को दे दी गई। इस प्रकार उक्त आरोप बेबुनियाद व निराधार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड की उचित प्रकार से जांच नहीं की गई एवं केवल मात्र राजनैतिक दबाव के कारण प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित कारण के निरस्त कर दिया जो गैर कानूनी होने के कारण निरस्त योग्य है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.3.1994 द्वारा जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि छोटे–मोटे तकनीकी आधारों पर डीलरों को तंग व परेशान नहीं किया जावे। प्रार्थी के ऊपर पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व है एवं प्रार्थी के ऊपर कोई गम्भीर आरोप भी नहीं है एवं प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी नहीं की गयी है। अतः जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 27.5.2016 को निरस्त करते हुए प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल करने के आदेश फरमावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी महवा द्वारा उचित मूल्य दुकानदार श्री धर्मसिंह मीना ग्राम पंचायत सांथा की दिनांक 28.10.2015 को जांच की जाकर जांच रिपोर्ट दिनांक 04.11.2015 को पेश की गई। जिसके अनुसार निम्न अनियमितताएं पायी गई –

1. उपभोक्ता पखवाडे में राशन सामग्री वितरित नहीं की गई एवं सामग्री को स्टॉक में बताया गया है।

Web Copy - Not Official

2. सीडिंग कार्य कम करवाया गया है।
3. उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है।

प्रवर्तन निरीक्षक महवा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 01.3.2016 के अनुसार निम्नानुसार अनियमितताएं पायी गई –

1. मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं और सरपंच सांथा द्वारा अवगत कराया गया कि राशन डीलर का व्यवहार असंतोषजनक है। उपभोक्ताओं के साथ गाली गलौच व मारपीट के साथ पेश आता है।
2. राशन डीलर उपभोक्ता पखवाड़े में उचित मूल्य दुकान नियमित रूप से नहीं खोलता है।
3. राशन डीलर आवंटित मात्रा से कम वितरण करता है।
4. मौके पर उपभोक्ताओं द्वारा राशनकार्ड प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उन्हें गत तीन माह से राशन सामग्री का वितरण नहीं किया है। मौके पर प्रस्तुत राशनकार्डो में गत तीन माह की राशन सामग्री का इन्द्राज नहीं होना पाया गया।
5. राशन डीलर को कार्यालय में रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया था परन्तु आदिनांक तक वांछित रिकार्ड कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,5,6,8,9,14 व पी.डी.एस.आदेश 2001 तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2015 का उल्लंघन किया गया है। इसलिये अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब में कतिपय उपभोक्ताओं द्वारा आपसी रंजिश के कारण शिकायत किया जाना तथा शिकायतकर्ताओं से सीडिंग कार्य हेतु आधारकार्ड, बैंक पासबुक आदि की छायाप्रति चाहने पर नहीं दिये जाने की स्थिति में शिकायतकर्ताओं को राशन सामग्री नहीं दिया जाना जो प्रार्थी के बैलेंस में होना तथा जिला रसद अधिकारी दौसा कार्यालय द्वारा समस्त स्टॉक व वितरण रजिस्टर मांगे जाने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.03.2016 को समस्त वितरण व स्टॉक रजिस्टर जमा करा दिये जाना व्यक्त किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रार्थी कारण बताओं नोटिस में राशन सामग्री कम पाये जाने के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है। जिससे अपीलांट के विरूद्ध लगाये गये आरोप पूर्णतया सत्य प्रतीत नहीं होते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2016 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 जनवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा